Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 5-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 30, 2018 (MAGHA 10, 1939 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग,

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2018

संख्या 80–सा.क.(4)–2018.– स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61), की धारा 78 तथा 71 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र नियम, 2010, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

1. ये नियम हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र नियम, 2010 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम–3 में:–

(i) उप–नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात:–

"(1) राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :–

(i)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग	सरकारी सदस्य
(ii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग	सरकारी सदस्य
(iii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा बाल विकास विभाग	सरकारी सदस्य
(iv)	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि जो अपर महानिदेशक, पुलिस की पदवी से नीचे का न हो	सरकारी सदस्य

Scanned by CamScanner

(v)	निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा	सरकारी सदस्य
(vi)	निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा	सरकारी सदस्य
(vii)	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा	सदस्य सचिव
(viii)	राज्य के इस क्षेत्र में कार्यरत विद्यमान गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)के दो प्रतिनिधि	गैर सरकारी सदस्य
(ix)	दो प्रतिष्ठित समाज सेवी	गैर सरकारी सदस्य
(x)	स्वापक अनाम तथा मद्यसारिक अनाम के प्रतिनिधि	गैर सरकारी सदस्य

(2) वरिष्ठतम प्रशासकीय सचिव समिति की अध्यक्षता करेगा। राज्य स्तरीय समिति तीन मास में बैठक करेगी।",

(ii) उपनियम (3) में, खण्ड (vii) का लोप कर दिया जायेगा।

3. "उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (3) में,–

(i) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(v) अनुज्ञप्ति, जब तक अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा निलम्बित, प्रतिसंहृत या रद्द नहीं की जाती, जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी;",

(ii) खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(viii) मनोविकृति नर्सिंग होम्स या अस्पताल, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम, 14) तथा केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, 1990 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक हैं तथा जो नशे के आदियों को उपचार दे रहे हैं तथा देखभाल कर रहे हैं, को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट होगी। वे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम, 14) के उपबन्धों के अधीन शासित होंगे। तथापि, वे स्वंय को अनुज्ञापन प्राधिकरण से पंजीकृत करवाएंगे तथा विहित प्रोफार्मा अर्थात् मादक द्रव्य दुरूपयोग मानीटरिंग प्रणालीए में नशामुक्ति मामलों का डाटा प्रस्तुत करेंगे। मानीटरिंग पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के सम्बन्ध में वे जिला स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन भी होंगे; ",

(iii) खण्ड (x) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :–

"(xi) अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है यदि केन्द्र के निरीक्षण पर यह पाया जाता हैं कि केन्द्र द्वारा इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट देखभाल के न्यूनतम् मानकों की अनुपालना नहीं की जा रहीं हैं या मानव अधिकारों के उल्लघंन की कोई रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति से प्राप्त होने पर या यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के ध्यान में कोई ऐसी शिकायत आती है;

(xii) देखभाल के न्यूनतम मानकों में किसी कमी या मानव अधिकारों के उल्लंधन की जिला स्तरीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे निलम्बन आदेशों के जारी होने की तिथि से अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकता है। अनुज्ञापन प्राधिकरण पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर जांच आरम्भ करवा सकता हैं;

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा यथा गठित जांच समिति द्वारा ऐसे केन्द्र को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। समिति, एक मास की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी और जांच समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकरण उस पर निर्णय करेगा;

(xiii) व्यथित व्यक्ति महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के पक्ष में भुगतान–योग्य डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में तीन सौ रूपये की फीस सहित ऐसे रद्दकरण की सूचना की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के विरूद्ध अपील दायर कर सकता हैं।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"7. अपील.– आवेदक प्ररूप III में उसको अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकरण के सम्मुख अपील दायर कर सकता है। अपील प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:–

(i)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग	सदस्य
(ii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(iii)	निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा	सदस्य सचिव।"।

Scanned by CamScanner

5. उक्त नियमों में,नियम 8 में;

(i) उपनियम (1) में, खण्ड (iii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जायंगे, अर्थात् :–

"(iv) मनोचिकित्सक, जहां कहीं उपलब्ध हो, सहित स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि — सदस्य

(v) समाज सेवकों,मनोवैज्ञानिकों तथा अन्य समाज वैज्ञानिकों तथा पूर्व नशे के आदियों का एक प्रतिनिधि — सदस्य"; तथा

(ii) उप–नियम (2) में,खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(iii) नशामुक्ति केन्द्रों, काउंसलिंग केन्द्रों के कृत्यों तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा दो मास के भीतर लिए गए निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति से राज्य स्तरीय समिति को अवगत करवाएगी।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 9 में,–

(i) उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:–

"(ख) काउंसलिंग केन्द्र–एवं–पुनर्व्यवस्थान के लिए –

(i) परियोजना निदेशक/प्रोग्राम अधिकारी– एक

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नशामुक्ति उपचार में प्रशिक्षण सहित अधिमानतः मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में एम0ए0 की मूल अर्हता सहित तीन सामाजिक कार्यकर्ता/काउंसलर;

(iii) तीन वार्ड परिचर–मूल योग्यता 10+2, स्थानीय केन्द्र पर तीन मास के भीतर पदार्थ आश्रितों को सम्भालने के लिये अनुकूलन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना;

(iv) दो सुरक्षा रक्षक/चौकीदार;

(v) दो सफाई कर्मचारी;

(vi) दो अभिजात शिक्षक वैकल्पिक;

(vii) एक कुक एवं हैल्पर वैकल्पिक या बाहर से ताजा पोषण आहार के लिये नियमित प्रबन्ध;

(viii) काउंसलिंग एवं पुनर्व्यवस्थापन केन्द्र के लिये, केन्द्र प्रभारी ऐसा व्यक्ति जो मनोविज्ञान/समाजशास्त्र/समाज सेवा में स्नातकोत्तर की योग्यताएं रखता हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो डाक्टर (एम.बी.बी.एस.) हो।

टिप्पण:– काउंसलिंग एवं पुनर्व्यवस्थापन केन्द्र के लिये अनुज्ञप्ति संस्थान सहित व्यक्ति प्रभारी के नाम से प्रदान की जाएगी। व्यक्ति को केवल एक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ;",

(ii) उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित नियम जोडे जाएंगे, अर्थात्:–

"(2) केन्द्र केवल पन्द्रह बैड संख्या के लिये विनिर्दिष्ट मानव शक्ति का रख–रखाव करेगा:

परन्तु, पन्द्रह बैड संख्या से अधिक के लिये अनुज्ञप्ति की दशा में, डाक्टर/मनोवैज्ञानिक को छोडकर, विहित मानदण्डों के गुणज में अपेक्षित मानव शक्ति को नियोजित करना होगा।

(3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर केन्द्र, भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा यथा विकसित ऐसे केन्द्रों के लिए एन.ए.बी.एच. प्रत्यायन प्राप्त करेगा।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1क) कोई भी रोगी जब तक काउन्सलिंग केन्द्र में तब तक दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक वह किसी मनोविकृति सम्बन्धी नर्सिंग होम/अस्पताल में डेक्सोफिकेशन अधीन न हो। यह तथ्य प्रमाण–पत्र के रूप में रिकार्ड पर होगा।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 10 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"11 मादक द्रव्य आदी मानिटरिंग प्रणाली.– (1) भारत सरकार द्वारा यथा विकसित मादक द्रव्य आदी मानिटरिंग प्रणाली (डी.ए.एम.एस.) प्रफोर्मा, साफ्टवेयर फार्मेट में विकसित किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर डाटा एनालाइसन तथा विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्त नशामुक्ति/काउन्सलिंग केन्द्रों को लागिन/पासवर्ड जारी किया जाएगा। साफ्टवेयर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा।

(2) मादक द्रव्य आदी मानिटरिंग प्रणाली (डी.ए.एम.एस.) का डाटा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा के साथ सांझा किया जाएगा।"।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

Scanned by CamScanner